भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 179
11 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों की गुणवत्ता

179. डॉ. कडियम काव्य:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तेलंगाना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता के संबंध में कोई रिपोर्ट/शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा किए गए निरीक्षणों/गुणवत्ता जांचों का ब्यौरा क्या है और तेलंगाना को आपूर्ति के संबंध में गुणवत्ता में अंतर के वर्ष-वार कितने मामले पाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और जारी किए गए परामर्श सहित राज्य सरकार के समन्वय से दोषी संस्थाओं, यदि कोई हों, के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा तेलंगाना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति शृंखला की गुणवत्ता आश्वासन, पारदर्शिता और पहले सिरे से अंतिम सिरे तक निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 11.02.2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 179 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की गुणवता के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग): केंद्रीय पूल के लिए निर्धारित खाद्यान्न की खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा केंद्रीकृत खरीद के अंतर्गत और राज्य एजेंसियों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद के माध्यम से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निर्धारित समरूप विनिर्देशों के अनुसार की जाती है। तेलंगाना एक विकेंद्रीकृत खरीद राज्य है और राज्य सरकार स्वयं 100% गुणवत्ता जांच के बाद सीधे खरीद करती है, खाद्यान्न का भंडारण करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उसका वितरण करती है।

इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं तेलंगाना राज्य सरकार की संयुक्त टीमों द्वारा भंडारण स्थलों पर किए गए गुणवत्ता परीक्षणों का विवरण निम्नानुसार है।

फसल वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या	मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मात्रा से अधिक (टन)
2022-23	542	शून्य
2023-24	380	
2024-25	482	
2025-26 (जनवरी 2026 तक)	268	

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, मानीटरिंग,निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाकरण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों द्वारा किया जाता है ताकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जाँच की जा सके। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(घ) भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक वितरण की प्रक्रिया में गुणवत्ता मानकों को एकसमान बनाए रखने के लिए विभाग ने खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तैयार की है और जारी की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने तथा इसमें शामिल पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान करती है।

इसके अलावा, टीपीडीएस में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी आधारित टीपीडीएस सुधारों के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों का डेटाबेस पूरी तरह से (100%) डिजिटलीकृत कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही, खाद्यान्न वितरण की बेहतर निगरानी के लिए, सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) को ई-पीओएस उपकरणों द्वारा स्वचालित कर दिया गया है ताकि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) किया जा सके। इसके अतिरिक्त,खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा 'मेरा राशन ऐप' भी शुरू किया गया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ाता है। यह लाभार्थियों को परिवार के मुखिया के आधार नंबर का उपयोग करके लॉग इन करने और केंद्रीय रूप से राशन पात्रता देखने की सुविधा देता है।

*****